

अपील क्रमांक 173/बो.प्र./नि.स./2022
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, सेक्टर-19,
नवा रायपुर (छ.ग.) अटल नगर

दिनांक /07/2022

अपील प्रकरण क्रमांक 173/बो.प्र./नि.स./2022

अपीलार्थी

श्री ओमप्रकाश कुर्रे (अधिवक्ता),
इंदिरा वार्ड क्र.-11 नया बाराद्वार,
तहसील नया बाराद्वार,
जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)
पिनकोड -495687
मो.नं.-6260817121

उत्तरवादी

श्री ए.के. साय,
जनसूचना अधिकारी, कार्यालय
प्रमुख अभियंता, जल संसाधन
विभाग,
नवा रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

आदेश दिनांक 11.07.2022

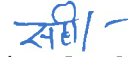
1. अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश कुर्रे उपस्थित।
2. जनसूचना अधिकारी श्री ए.के. साय उपस्थित।
3. श्री एल.आर. कंवर, सहायक ग्रेड-2, स्थापना शाखा 331-332, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर उपस्थित।
4. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) में जल संसाधन विभाग में वर्ष 2007 में सिंचाई निरीक्षक के स्वीकृत 39 सांख्येत्तर पद के विरुद्ध कितने पदों पर पदोन्नति दी गई, पदोन्नति आदेश की सत्यापित प्रति सूची सहित प्राप्त करने के लिए दिनांक 13.04.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया था। जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर द्वारा अपीलार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी में वर्ष 2007 के पूर्व पदोन्नत सिंचाई निरीक्षक की जानकारी उपलब्ध करायी गई है। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश कुर्रे ने दिनांक 24.06.2022 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है, जो दिनांक 28.06.2022 को प्राप्त हुआ।
5. अपीलार्थी श्री ओमप्रकाश कुर्रे का पक्ष सुना गया। उन्होंने बताया कि उन्हें जल संसाधन विभाग में वर्ष 2007 में सिंचाई निरीक्षक के स्वीकृत 39 सांख्येत्तर पद के विरुद्ध कितने पदों पर पदोन्नति दी गई, पदोन्नति आदेश की सत्यापित प्रति सूची सहित चाहिए गई थी। किन्तु उन्हें वर्ष 2007 के पूर्व पदोन्नत सिंचाई निरीक्षक की जानकारी दी गई। इसलिए उन्हें सही जानकारी नहीं मिलने के कारण प्रथम अपील आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।
6. श्री एल.आर. कंवर, सहायक ग्रेड-2, स्थापना शाखा 331-332, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर का पक्ष सुना गया। उन्होंने बताया कि शासनादेशानुसार आदेश क्र. एफ-11-8/31/2007, दिनांक 15.06.2007 में सिंचाई निरीक्षक के सांख्येत्तर 39 पद के विरुद्ध 2007 के बाद कोई पदोन्नति नहीं की गई है। 2007 के पूर्व अमीन से सिंचाई निरीक्षक के पद पर पदोन्नत की गई, जिसकी 6 पृष्ठों की जानकारी स्थापना कक्ष से जनसूचना अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई है।

7. जनसूचना अधिकारी श्री ए.के. साय का पक्ष सुना गया। उन्होंने बताया कि जानकारी हेतु नस्ती स्थापना कक्ष को दिनांक 19.04.2022 को प्रस्तुत की गई, जो इस कक्ष को दिनांक 22.04.2022 को स्थापना शाखा से 6 पृष्ठों की जानकारी प्राप्त हुई। उक्त जानकारी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/103/छ.ग./2022/3741, दिनांक 25.04.2022 द्वारा अपीलार्थी को 6 पृष्ठों के लिए $6 \times 2 = 12$ रुपये शुल्क जमा करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.05.2022 को राशि रु. 20.00 (रु. बीस मात्र) जमा किया गया। अपीलार्थी द्वारा सूचना शुल्क जमा करने के पश्चात कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/103/छ.ग./2022/4754, दिनांक 24.05.2022 को वांछित जानकारी दी जा चुकी है।

8. अपीलार्थी को पूरी जानकारी मौखिक बताने के साथ नस्ती अवलोकन कर जो भी अन्य जानकारी चाहिए, वह चिन्हांकित कर, शुल्क जमा कर दी जा सकती है, कहा गया। जिस पर अपीलार्थी ने सम्पूर्ण नस्ती अवलोकन किया और अन्य जानकारी 34 पृष्ठ जो कि आवेदन में मांगी नहीं गयी थी, पर चिन्हांकित करने पर शुल्क जमा पश्चात दी गई। अपीलार्थी द्वारा संतुष्टि प्रगट की। जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त 34 पृष्ठों की जानकारी अपीलार्थी को 7 दिवस के भीतर पंजीकृत डाक से उपलब्ध करावें।

उपरोक्त निर्देश के साथ यह प्रथम अपील निराकृत की जाती है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।



(वीरेन्द्र तिवारी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्र./173/बो.प्र./नि.स./2022/ 6635

रायपुर, दिनांक 12/07/2022

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाइट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री ए.के. साय, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री ओमप्रकाश कुरें (अधिवक्ता), इंदिरा वार्ड क्र.-11 नया बाराद्वार, तहसील नया बाराद्वार, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) पिनकोड -495687 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



(वीरेन्द्र तिवारी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)